आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - पं.नि. 30-34/2020 - 122

प्रेषक,

योगेन्द्र राम
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 16/01/2021

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा। विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायतों का वर्त्तमान कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हो रहा है तथा आम निर्वाचन मार्च-मई, 2021 में संभावित है। उक्त चुनाव के सफल संचालन, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुरूप अर्हता रखने वाले भवनों/स्थलों में मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश निर्गत किये जा रहे हैं :-

1. मतदान केन्द्र से संबंधित वैधानिक उपबंध – बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 एवं 27 में मतदान केन्द्र की व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। उनका संगत अवतरण निम्नवत है :-

नियम 26 –``मतदान केन्द्र का चयन – जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से मतदान केन्द्र का चयन करेगा।''

नियम 27 – ``मतदान केन्द्र की सूची का प्रकाशन – जिला निर्वाचन पदाधिकारी नियम 8 के उप-नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित करेगा। ''

परन्तु यह कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

परन्तु यह भी कि राज्य निर्वाचन आयोग युक्तियुक्त कारणों से आवश्यक समझे जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी, मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का आदेश दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अनुमोदित सूची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिना आयोग की अनुमति के या आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा में, परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

विदित है कि नियम 8 के नियम उप नियम (1) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन किये जाने की रीति एवं प्रावधान है, उसी के अनुरूप मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाना है, जो निम्नवत् हैं –

``नियम 8 – प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन – (1) जिला दंडाधिकारी द्वारा इस नियम के अध्यधीन बनाए गये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-1 में, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।"

स्पष्ट है कि तदनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी।

प्रकाशित सूची में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति है तो, सूची प्रकाशित किये जाने की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर जिला दंडाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित सुझाव/ आपत्ति दी जा सकेगी।

2. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया था, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हैं। पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्र पर पुनः अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

मतदान केन्दों का भौतिक सत्यापन

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसके आधार पर ही मतदान केन्द्रों के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

विदित है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में स्थापित मतदान केन्द्रों का आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों से मतदान केन्द्रों की भौतिक सत्यापन करायी गई थी। कतिपय प्रेक्षकों के प्रतिवेदन से यह तथ्य सामने आया था कि निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किये बिना ही कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक द्वारा कुछ ऐसे भवनों में मतदान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिनमें न छत था और न दरवाजे एवं खिड़की। कुछ मतदान केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में थे। यानि मतदान केन्द्रों के लिए आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया था। अतएव मतदान केन्द्रों का शत्-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है।

प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति

मतदाता सूची निर्माण के अनुश्रवण के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा जिलों में पूर्व से प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है, उन्हीं प्रेक्षकों से मतदान केन्द्रों के स्थापना संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण भी कराया जाय।

– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के नियंत्रण में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/ पंचायत सचिव/ जनसेवक द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2016 में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रत्येक मतदान केन्द्रों की भवनों/ स्थानों का भौतिक सत्यापन दिनांक 20.01.2021 से दिनांक 27.01.2021 तक कराना सुनिश्चित किया जाये।

– मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे यथासंभव अपने क्षेत्राधीन पड़ने वाले मतदान केन्द्रों की भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से करें।

– मतदान केन्द्र प्रेक्षक `रैन्डमली" चुने हुए मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन का समीक्षा/अनुश्रवण करेंगे।

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के सन्दर्भ में निम्नलिखित विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है –

(क) मतदान केन्द्र भौतिक सत्यापन करने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से मतदान केन्द्र स्थल पर जाकर मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रखड विकास पदाधिकारी द्वारा संलग्न कार्यक्रम के अनुसार अपने पर्यवेक्षण में प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से पंचायत आम निर्वाचन 2016 में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र की भवनों/स्थानों का भौतिक सत्यापन निम्न विन्दुओं के आधार पर की जायेगी :-

(i) मतदान केन्द्र के भवन जर्जर अवस्था में है;

(ii) चलन्त मतदान केन्द्र के स्थान पर प्रा.नि.क्षे. में सरकारी/सार्वजनिक भवन का निर्माण हो गये हैं;

(iii) विगत पंचायत आम निर्वाचन में मतदान केन्द्र किन्ही कारणवश विवादित रहे हैं ?

(ख) मतदान केन्द्र के भौतिक सत्यापन अंकित किए जाने वाले प्रपत्र में दिए गए विन्दुओं पर वास्तविक स्थिति अंकित करेंगे।

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न ``मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रपत्र" में तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को समर्पित करेंगे। जिला स्तर पर मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन सुरक्षित रखा जायेगा।

संशोधित मतदान केन्द्रों का चयन /स्थापना

मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के आधार पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि पंचायत निर्वाचन, 2016 के अवसर पर आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों में से कितने मतदान केन्द्रों में संशोधन की आवश्यकता है। संशोधित मतदान केन्द्रों के चयन/स्थापना से संबंधित निम्नांकित दिशा-निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये –

मतदान केन्द्र के गठन में क्या न करें –

(1) निजी भवनों या परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जायगा।

(2) कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित नहीं किया जायगा।

(3) वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अन्दर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

(4) किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े।

(5) एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र नहीं बनाए जाएँ। विशेष परिस्थिति में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र बनाना अपरिहार्य हो तो आयोग से इसकी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्र नहीं बनाये जायेंगे।

मतदान केन्द्र के गठन में क्या करें –

(1) मतदान केन्द्र ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ही स्थापित की जाय।

(2) ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन के निमित्त बनाए गए मतदान केन्द्र स्थापित है तो उस भवन में मतदान केन्द्र बनाया जाय।

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः तीस वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए।

(4) मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हॉल/ कमरों में एकमात्र दरवाजा होने की स्थिति में कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो सकती है।

(5) पूर्व के हिंसा संबंधित घटनाओं और वर्तमान में अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने के आधार पर यथासंभव उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केन्द्र बनाए जायें। आवश्यकता पड़ने पर इन वर्गों के मतदाताओं के लिए भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना की जायगी।

(6) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र बनने की अर्हता रखने वाले एक से अधिक भवन है तो प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं के आवासीय क्षेत्र में पड़ने वाले भवन में मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।

(7) पहाड़ी और वन क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए अधिकतम दो किलो मीटर की दूरी संबंधित नियम को शिथिल करना पड़ सकता है, तथा मतदाताओं को अनावश्यक रूप से अधिक दूर तक न चलना पड़े, इस उद्देश्य से ऐसे मामलों में मतदाताओं की निर्धारित संख्या से अपेक्षाकृत कम संख्या के मतदाताओं के लिए भी मतदान केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं।

(8) जिन स्थानों पर सरकारी/ अर्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं हों, वहाँ पर यथासंभव उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अथवा पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन (खाता खेसरा अंकित रहेगा) पर चलन्त मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाए। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र नहीं बनाये जायें। विशेष परिस्थिति में दो से अधिक चलन्त मतदान केन्द्र बनाना अपरिहार्य हो, तो आयोग से इसकी पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र हेतु भवन उपलब्ध नहीं है एवं विकल्प के रूप में चलन्त मतदान केन्द्र की स्थापना भी नहीं किया जा सकता है यानि उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्र की स्थापना बिल्कुल ही संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सटे उसी ग्राम पंचायत की परिसीमा के अन्दर दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान केन्द्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्र नहीं बनाये जायेंगे।

मतदान केन्द्रों के संशोधित प्रस्ताव पर निश्चित रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अन्तिम निर्णय लेंगे।

संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की जाँच (verification)

– मतदान केन्द्र की स्थापना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि इसका वरीय स्तर के पदाधिकारी से भी सत्यापन कराया जाये।

– पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन के आधार पर केवल संशोधित मतदान केन्द्र का अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग से किया जाना है, इसलिए वरीय पदाधिकारियों द्वारा संशोधित मतदान केन्द्रों का जाँच किया जाना चाहिये।

– प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रेक्षक और जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा क्रमशः 100%,25% और 5% प्रतिशत संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्रों का जाँच किया जाना है। विशेष कर अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत यदि मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जा रहे हों वैसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जाँच निश्चित रूप से कर ली जाय।

– सभी जाँच प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को देंगे और यह अभिलेख जिला स्तर भी पर सुरक्षित रहेगी।

प्रारूप प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सुझाव/शिकायतों का निष्पादन

प्रारूप प्रकाशन के पूर्व मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में प्राप्त सुझाव/शिकायत की जाँच मतदान केन्द्र प्रेक्षक अथवा वरीय पदाधिकारी से करा ली जाय।

मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन

नियम 27 के प्रावधान के अनुसार नियम 8 के उप नियम (1) में विहित रीति से मतदान केन्द्र की सम्पूर्ण सूची (पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र के साथ मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप संशोधित मतदान केन्द्र को यथास्थान अंकित करते हुए) आयोग द्वारा संसूचित कार्यक्रम (संलग्न) के अनुसार निर्धारित तिथि को मतदान केन्द्र की सम्पूर्ण सूची संलग्न **प्रपत्र -1** में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद् के मामले में सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जायगी।

(क) प्रारूप प्रकाशन की अवधि – उपर्युक्त विधि से प्रकाशित प्रारूप मतदान केन्द्रों की सूची **चौदह दिनों तक** प्रकाशन में रहेगी तथा इस अवधि में मतदान केन्द्रों में संशोधन हेतु दावे एवं आपत्तियों को प्राप्त की जायेगी।

(ख) दावा-आपत्ति प्राप्त करने हेतु पदाधिकारी/कर्मचारी को प्राधिकृत करना – प्रत्येक स्तर यथा- प्रखंड/जिला स्तर पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए एक पदाधिकारी/कर्मचारी को नामित किया जाय। ऐसे नामित पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कार्यालय में सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय ताकि सर्वसाधारण को जानकारी हो कि दावा/आपत्ति किसे देना है। प्रत्येक स्तर पर एक पंजी संधारित करना है, जिसमें दावा आपत्तियों की विवरणी अंकित की जायेगी। आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यालय अवधि में कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय जो प्राप्त आपत्तियों को एक पंजी में संधारित करेंगे और आपत्तिकर्त्ता को संलग्न प्राप्ति रसीद अवश्य देंगे।

(ख) प्रारूप-प्रकाशन का व्यापक प्रचार – प्रारूप प्रकाशन के व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जाय। जिन स्थानों पर साप्ताहिक हाट-बाजार लगते हों वहाँ ढ़ोल पीटकर निम्नांकित सूचनाओं का प्रचार कराया जाय :-

(i) प्रकाशन की तिथि –

(ii) स्थानों का नाम जहाँ निरीक्षण हेतु मतदान केन्द्र सूची रखी गयी है/प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम –

(iii) आपत्ति देने की अंतिम तिथि –

(iv) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का ब्योरा (नाम, पदनाम, कार्यालय) जिनके पास आपत्तियाँ दी जा सकेंगी।

(ग) प्रारूप प्रकाशन अवधि में दिये गये आपत्तियों का निष्पादन – प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन आपके द्वारा प्राधिकृत सक्षम एवं वरीय पदाधिकारी से कराया जाय।

– प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी को इस कार्य हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाय।

– स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए छोटी से छोटी शिकायतों का भी निष्पादन तत्परतापूर्वक एवं पूर्ण रूप से किया जाय।

– शिकायतों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी अथवा अन्य वरीय पदाधिकारियों से करायी जाये।

मतदान केन्द्रों के गठन के विरूद्ध अनेकों परिवाद आयोग कार्यालय को प्राप्त होते हैं, जिसे जिला पदाधिकारियों को जाँच हेतु प्रेषित किया जाता है, परन्तु आयोग कार्यालय को जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में मतदान केन्द्र के अनुमोदन के समय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) आयोग से प्राप्त मतदान केन्द्रों के गठन से संबंधित परिवाद का शत्प्रतिशत जाँच कराते हुए निष्पादित कर लें एवं जाँच प्रतिवेदन आयोग को ससमय भेजें।

(घ) आपत्तियों के निष्पादन के बाद संशोधित सूची की तैयारी – प्रारूप मतदाता सूची में पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्रों के यथास्थान पर संशोधित मतदान केन्द्रों एवं आपत्तियों के निष्पादन के बाद भी यदि कोई संशोधित मतदान केन्द्र प्रस्तावित है, उन सबों को मिलाकर सम्पूर्ण संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची तैयार की जानी है। विदित है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची में आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के आधार पर अनुमोदित मतदान केन्द्रों को जिसमें कोई संशोधन नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है।

(5) राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन – ऊपर दिये गये निदेशों के अनुसार संशोधित/परिवर्त्तित मतदान केन्द्रों का चयन कर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र-2 में पूर्ण औचित्य के साथ मतदान केन्द्रों की सूची संलग्न कार्यक्रम के अनुसार किसी प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजा जाय, जो आयोग में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हों। मतदान केन्द्रों के संशोधन प्रस्ताव प्रपत्र-2 के साथ आयोग से भेजे गये सभी परिवादों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जिला पंचायत पदाधिकारी (पंचायत) की अनुशंसा के साथ भेजा जाना है। आयोग के अनुमोदन के पश्चात सम्पूर्ण मतदान केन्द्रों की सूची प्रपत्र-1 में तैयार कर अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जायेगा।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदान केन्द्रों की सूची के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व संशोधित/परिवर्त्तित सूची पर आयोग का अनुमोदन निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाये। आयोग से बिना अनुमोदन प्राप्त किये अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदान केन्द्रों की मान्यता आयोग द्वारा नहीं दी जायेगी तथा निदेश की अवहेलना की स्थिति में दोषी/उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

आयोग का निर्णय है कि मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन एवं अन्तिम प्रकाशन को आयोग के वेवसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। अतः मतदान केन्द्रों के प्रारूप प्रकाशन की सी.डी. एवं अन्तिम प्रकाशन की सी.डी. (MS Office Excel & Unicode Font) आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **मतदान केन्द्रों की सूची की बिक्री :-** मतदान केन्द्रों की सूची की बिक्री उसी दर पर की जायेगी जिस दर पर मतदाता सूची की बिक्री की जाती है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-22/2020 – 122 पटना, दिनांक – 16/01/2021

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - प.नि. 30-22/2020 – 122 पटना, दिनांक – 16/01/2021

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव। 16/01/2021

16.1.21

मतदान केन्द्रों की सूची की तैयारी से संबंधित कार्यक्रम

1.	आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित प्रत्येक मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन	– 20.01.2021 से 27.01.2021
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति	– 28.01.2021 से 11.02.2021
3.	आपत्तियों का निष्पादन	– 29.01.2021 से 13.02.2021
4.	भौतिक सत्यापन अथवा दावा/ आपत्ति निराकरण के पश्चात संशोधित/ परिवर्त्तित मतदान केन्द्रों की सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आयोग में भेजा जाना	– 15.02.2021 तक
5.	मतदान केन्द्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन-	– 17.02.2021 से 24.02.2021
6.	सम्पूर्ण मतदान केन्द्रों की सूची का मुद्रण-	– 25.02.2021 से 01.03.2021
7.	सम्पूर्ण मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन-	– 02.03.2021

मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रपत्र

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत - .....

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	क्या भवन जर्जर/ध्वस्त है	क्या मतदान केन्द्र प्र.नि.क्षे. से बाहर स्थित है	क्या मतदान केन्द्र निजी भवन में है
1	2	3	4	5

क्या मतदान केन्द्र किसी पुलिस थाना/ पर अस्पताल / मन्दिर या किसी धार्मिक स्थल में अवस्थित है	क्या मतदान केन्द्र वर्तमान मुखिया के आवास 100 मीटर के अन्दर है	क्या चलन्त मतदान केन्द्र के स्थान नया भवन का निर्माण हो गया है
6	7	8

क्या मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए 2 कि.मी. से अधिक की दूरी पहुँचनी पड़ती है	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
9	10	11

स्थान :
दिनांक :

भौतिक सत्यापन करने वाले
पदाधिकारी हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम -

प्रपत्र - 1

[नियम 2 (भ) के अधीन]

मतदान केन्द्रों की सूची

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत - .....

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा. नि. क्षेत्र संख्या .....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (मतदाता सूची के प्रपत्र-क से अंकित करें)	अभियुक्ति *
1	2	3	4	5

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

.....

नोट : *अभ्युक्ति कॉलम में मतदान केन्द्र यदि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में अनुमोदित है तो उसके सामने `आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित" अंकित करें। यदि मतदान केन्द्र वर्तमान में संशोधित किया गया है तो संशोधित अंकित करें।

प्रपत्र-2

[नियम 2 (भ) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत - .....

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण/ औचित्य
1	2	3	4

मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा. नि. क्षेत्र संख्या .....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र. ..... से ..... तक)	भवन सरकारी/ अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या
5	6	7	8

मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभियुक्ति
9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/ अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

मतदान केन्द्र स्थापना संबंधी सुझाव/आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... पिता/ पति.....

जो ग्राम पंचायत ..... के प्रा.नि.क्षे.संख्या ..... डाक घर .....

जिला ..... के निवासी हैं, का मतदान केन्द्र स्थापना संबंधी सुझाव/ आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि : प्राधिकृत प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर